

श की क्रम ख्या और रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
19/12/2013	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील वाद सं0 38/2011 राजेन्द्र सिंह बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा आदेश</p> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 215 दिनांक 13.1.2011 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.2010 को अनुमंडल स्तरीय गठित जाँच दल के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अनुज्ञप्ति सं0 75/67, ग्राम-गोपालबाड़ी, पंचायत-मशरक पश्चिमी, प्रखंड-मशरक की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पाई गई थी। यथा- निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे, दुकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था, विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जाँच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा उरोक्त कागजात जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी/किरासन तेल का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने अपने ज्ञापांक 3462 दिनांक 8.12.2010 के द्वारा विक्रेता से 24 घंटे के अंदर कारणपृच्छा की माँग की गई थी। कारणपृच्छा दिनांक 15.12.2010 को प्राप्त हुआ था। विक्रेता द्वारा प्राप्त कराए गए कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं है। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में वर्णित तथ्यों से उनके उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी ने विक्रेता द्वारा अपने कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से निम्न अनियमितताएँ दृष्टिगोचर होता बतलाया:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपने कारणपृच्छा के साथ विक्रेता द्वारा कैशमेमो जमा नहीं किया गया था। 2. विक्रेता द्वारा नवम्बर माह के किरासन तेल का उठाव 30.11.2010 को किया गया था तथा इसका वितरण दिनांक 1.12.2010 तक दिखाया गया था। 	

